न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

2018
01022

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 339/2018

प्रार्थीनी :— 1. सनीयादेवी पत्नी घेवाराम उम्र 37 वर्ष जाति कलबी चौधरी निवासी बुडीवाडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. देदाराम पुत्र नाथाजी
2. पुनमाराम पुत्र रामाजी
3. जगनाराम पुत्र दुर्गाजी
4. ईश्वरराम पुत्र झुठाराम
5. परागाराम पुत्र झुठाराम
6. सुजाराम पुत्र झुठाराम
7. पांचाराम पुत्र झुठाराम
8. भोमाराम पुत्र खुशालाराम
9. जोराराम पुत्र खुशालाराम
10. रूगाराम पुत्र खुशालाराम
11. नवाराम पुत्र गोकाराम
12. डायाराम पुत्र गोकाराम
13. आम्बाराम पुत्र गोकाराम
14. लादुराम गोदपुत्र हठाराम जाति चौधरी निवासी बुडीवाडा हाल जोधपुर
15. नैनु पत्नी कानाजी पुत्रवधु वरदाजी सभी जातियान चौधरी सभी निवासी बुडीवाडा
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर जिल बाडमेर ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान रा0भू रा0 अधि0

बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :—

1.श्री अचलाराम चौधरी वकील प्रार्थीनी

2. श्री रतनलाल चौधरी , वकील विप्रार्थी संख्या 3,11,15

'आदेश दिनांक :— 7.09.2022

प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थीनी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1156/262 रकबा 36 बीघा 04 विस्वा किस्म बा.दो सरहद मौजा बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा, तहसील पचपदरा में आयी हुई है । उक्त भूमि प्रार्थीनी के एकल कब्जा स्वमित्व खातेदारी की अवस्थित रही है । प्रार्थीनी की उक्त खतेदारी कृषि भूमि के विप्रार्थीगण सेढा पडौसीयान है, तथा प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण के मध्य हमेशा [illegible] एवं सीमाओं को लेकर विवाद तथ असमज्सय की स्थिति बनी रहती है। जिससे प्रा[illegible] की [illegible]मबंदी व पत्थरगढी करवाकर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करवाना आवश्यक हो गया [illegible] प्रार्थी व पडौसी खातदेारों के मध्य कोई मनमुटाव व विवाद न होने तथा सौहार्दपूर्ण वा[illegible]रण बना रहे, इस हेतु नेखमबंदी व पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:06:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी का आवेदन पत्र दिनांक 21.05.2018 दर्ज कर विप्रार्थीगण सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या — 1 ता 16 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस रसीदे पेश की गयी ।, विप्रार्थी

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

ंख्या 3,11 व 14, 15 को जबाब पेश करने हेतु तीन वर्ष से भी अधिक अवसर प्रदान किये ये जाने के बावजूद भी जबाब पेश नहीं करने के कारण जबाब का अवसर बंद किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 ता 2,4 ता 10, 11 ता 13 व 16 को नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उक्त विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 1.2.2021 व 4.1.2022 को कच्ची नेखमबंदी करने हेतु तहरीर जारी की गयी ।

उभय पक्ष के वकीलो की बहस को सुना गया। प्रार्थीनी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनीके वक्त काश्त प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश एवं नेखमबंदी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदारी काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी की दरखास्त स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं उभय पक्षकारन की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीनी के आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेखमबदी करने हेतु भूमापक भू0निरीक्षक जसोल को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी का खातेदारी खेत सरहद मौजा बुडीवाडा पटवार हल्का जागसा के खसरा संख्या 1156/262 रकबा 36 बीघा 04 विस्वा किस्म बा.दो मे नेखमबंदी करने से पूर्व एक तारीख निश्चित कर दोनो पक्षकारान को सूचित करवा कर दोनो पक्षों की उपस्थिति में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापककर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन किये बिना नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। तहरीर जारी हो मौका कमिश्नर शुल्क एक हजार रूपये नियत किये जाते है, जिसे प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा । पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:06:02 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 7.09.2022 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा